

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन(ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक :— प. 19(1)साप्र / 2 / 2018

जयपुर, दिनांक : २५.०८.२०१८

—: आदेश :—

निम्नांकित अधिकारियों/कर्मचारियों को उनकी चतुर्थ श्रेणी में एफ—श्रेणी (स्वतंत्र) की वरीयतानुसार उनके नाम के समुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानानुसार निम्नानुसार शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटित किया जाता है:—

क्र. सं.	वरीयता संख्या	नाम व पद	सेवानिवृति दिनांक	आवंटित आवास संख्या
1.	326	श्री राजू सिंह सोलंकी नर्स ग्रेड-ा एस.पी.एम.सी.एच.आई. जयपुर (जे.के.लोन), जयपुर	30.6.2038	एफ—168, गाँधीनगर, जयपुर (4/51, गाँधीनगर जयपुर के स्थान पर)
2.	337	श्री हनुमान सिंह मेल नर्स-ा, सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर	30.11.2041	एफ—41, गाँधीनगर, जयपुर (4/32, गाँधीनगर जयपुर के स्थान पर)
3.	359	श्रीमती मनोज कुमारी ए.एन.एम. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम जयपुर	31.10.2043	एफ—164, गाँधीनगर, जयपुर (4/64, गाँधीनगर जयपुर के स्थान पर)
4.	361	श्री राजेश कुमार खटाना उप निरीक्षक पुलिस ए.टी.एस, राजस्थान जयपुर।	28.2.2034	एफ—183, गाँधीनगर, जयपुर (4/81, गाँधीनगर जयपुर के स्थान पर)
5.	363	श्री सत्यपाल यादव लिपिक ग्रेड-ा सी आई डी (सी बी) जयपुर।	30.6.2029	एफ—200, गाँधीनगर, जयपुर (4/बी/7, गाँधीनगर, जयपुर के स्थान पर)
6.	364	श्रीमती पूजा अवस्थी स्टाफ नर्स ग्रेड-ा जे.के.लोन. अस्पताल, जयपुर।	31.10.2036	एफ—404, गाँधीनगर, जयपुर (4/62, गाँधीनगर, जयपुर के स्थान पर)
7.	365	श्री मोहन सिंह लिपिक ग्रेड-ा निदेशालय एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर।	31.3.2021	एफ—456, गाँधीनगर, जयपुर (4/140, गाँधीनगर जयपुर के स्थान पर)
8.	367	श्री रामकिशोर मीणा कनिष्ठ अनुदेशक, औषधोगिक प्रशिक्षण केन्द्र बनीपार्क, जयपुर।	30.6.2042	एफ—489, गाँधीनगर, जयपुर (4/99, गाँधीनगर, जयपुर के स्थान पर)
9.	368	श्री विश्वदीप दीक्षित लिपिक ग्रेड-ा निदेशालय, कोष एवं लेखा, जयपुर	31.5.2030	एफ—493, गाँधीनगर, जयपुर (4/28, गाँधीनगर, जयपुर के स्थान पर)

शर्तें :—

1. आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी—चूंकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(गा)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:—
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

३०

(डॉ.पी.डी.पारीक)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. निदेशक, कोष एवं लेखा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
3. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
5. उपायुक्त, पुलिस मुख्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
6. प्राचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र बनीपार्क जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
7. अधीक्षक, सर्वाई मानसिंह/जे.के.लोन. चिकित्सालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
8. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
9. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
10. सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय (मुख्यालय), जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात् ही आवण्टन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
12. अधिशासी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर जयपुर।
13. अधिशासी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल, जयपुर।
14. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी, गांधीनगर, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लैकबोर्ड पर चर्चा करावें साथ ही आवंटी के द्वारा कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय जयपुर को भी भिजावाये।
15. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय (मुख्यालय), जयपुर को सम्बलवाने के पश्चात् ही कब्जा प्राप्त करेंगे।
16. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, साप्रवि।
17. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव
२५/८/२०१४

राजकीय आवास के आवंटी संलग्न प्रपत्र में शपथपूर्वक सूचना अंकित करते अपने नियुक्त अधिकारी / विभागाध्यक्ष से प्रमाणित कराते हुये सार्वजनिक निर्माण विभाग की संबंधित चौकी में आवंटित राजकीय आवास का कब्जा लेते समय प्रस्तुत करेंगे। संबंधित सहायक अभियन्ता द्वारा आवंटी से प्राप्त उक्त प्रपत्र अनुसार आवंटन हेतु पात्र होने पर ही कब्जा प्रदान किया जावेगा तथा आवंटन आदेश जारी होने के 15 दिवस में कब्जे की रिपोर्ट के साथ प्रपत्र आवश्यक रूप से इस विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करावेंगे।

प्रपत्र में असत्य सूचनाओं के आधार पर आवंटन निरस्त किया जा सकता है तथा कब्जे की तिथि से प्रचलित बाजार किराया दर वसूलनीय होगा।

प्रपत्र

1.	नाम अधिकारी / कर्मचारी	
2.	वर्तमान पद एवं पदस्थान विवरण	
3.	जन्म दिनांक	
4.	सेवानिवृत्ति दिनांक	
5.	जयपुर शहर में राजकीय आवास हेतु जयपुर शहर में निरन्तर रूप से पदस्थापित है? जयपुर में आवास हेतु आवदेन किया जाने के पश्चात् लगातार जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं। इस माध्य में स्वयं का जयपुर से बाहर स्थानान्तरण एवं पदस्थापन नहीं हुआ है।	
6.	आवंटी का जयपुर शहर में कोई स्वयं/पत्नि व उन पर आश्रित किसी सदस्य के नाम निजी आवास नहीं है।	

आवेदक के हस्ताक्षर मय मोबाईल नम्बर

विभागाध्यक्ष / आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर